संख्या- 25/2019/342/59-2-2019-13(खा)/2017टी.सी.

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उ0प्र0 प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है, उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

3- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकाईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षो तक प्रदान की जायेगी।

4- योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे। प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये गये ब्याज उपादान के बिल की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात ब्याज उपदान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

6- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण करते हो तथा जिनके ऋण आवेदन पत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डी0एल0टी0एफ0सी0 द्वारा अनुमोदित हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के पश्चात ही इकाईयॉं इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी। वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी अन्य योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।

8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके NEFT/RTGSके माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019, एवं शासकीय मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्गत शासनादेशों मे दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद, एवं शासन को साथ ही मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

11- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-29/2018/374/59-2-2-2018-13(खा)2017टी.सी. दिनांक 21 मई, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा।

12- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-18-पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019, में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुरेश चन्द्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 25/2019/342(1)/59-2-2019 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/सयुंक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड।
6- सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें।
8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 25/2019/342/59-2-2019-13(खा)/2017टी.सी., दिनांक 13 मई, 2019 का संलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-5 में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की जनपदवार फांट:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1	आगरा	3.01
2	फिरोजाबाद	1.59
3	मथुरा	4.01
4	मैनपुरी	0.60
5	अलीगढ़	7.13
6	एटा	0.62
7	कासगंज	0.76
8	हाथरस	1.20
9	इलाहाबाद	4.00
10	फतेहपुर	2.45
11	कौशाम्बी	1.26
12	प्रतापगढ़	6.82
13	आजमगढ़	6.12
14	बलिया	1.63
15	मऊ	5.03
16	बदायूँ	0.39
17	बरेली	2.33
18	पीलीभीत	1.75
19	शॉहजहॉपुर	0.65
20	बॉदा	0.66
21	हमीरपुर	0.65
22	चित्रकूट	1.14
23	महोबा	0.20
24	बहराइच	2.09
25	बलरामपुर	1.17
26	श्रावस्ती	0.30
27	गोण्डा	2.60
28	बाराबंकी	13.38
29	अमेठी	7.17
30	फैजाबाद	3.44
31	सुल्तानपुर	4.06

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

32	अम्बेडकर नगर	2.51
33	देवरिया	1.41
34	गोरखपुर	5.80
35	महाराजगंज	1.84
36	कुशीनगर	2.53
37	बस्ती	1.95
38	सन्तकबीर नगर	2.18
39	सिद्धार्थ नगर	1.80
40	जालौन	0.81
41	झाँसी	1.18
42	ललितपुर	1.07
43	इटावा	0.48
44	औरैया	0.98
45	फरूर्खाबाद	0.82
46	कन्नौज	2.84
47	कानपुर देहात	1.24
48	कानपुर नगर	6.39
49	हरदोई	12.87
50	लखीमपुरखीरी	4.68
51	लखनऊ	10.64
52	रायबरेली	2.43
53	सीतापुर	2.32
54	उन्नाव	3.80
55	बागपत	3.68
56	बुलन्दशहर	3.34
57	गौतमबुद्ध नगर	0.33
58	गाजियाबाद	1.37
59	हापुड़	1.28
60	मेरठ	1.30
61	मुजफ्फर नगर	8.55
62	शामली	2.83
63	सहारनपुर	3.91
64	बिजनौर	4.34
65	मुरादाबाद	4.01
66	रामपुर	5.78
67	सम्भल	2.53
68	अमरोहा	2.32

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

69	गाजीपुर	10.55
70	जौनपुर	6.61
71	चंदौली	4.13
72	वाराणसी	9.93
73	सन्तरविदासनगर	2.89
74	मिर्जापुर	6.72
75	सोनभद्र	2.82
योग		**250.00**

(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।